:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल RAS.
मूकदमा नम्बर 15/22

1. भेमजी पुत्र कचरा मीणा निवासी चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

प्रार्थी

बनाम

1. श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी कराने।

उपस्थित :–

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक 08/05/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं उसकी पत्नी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि मौजा चारवाडा के जमाबन्दी खाता सख्या 204 कें खसरा नम्बर 1649/580 का रकबा 0.4854 हैक्टेयर भूमि है, जिसका प्रार्थी द्वारा पूर्व में सीमांकन करवाया है सीमांकन आदेश दिनांक 09/05/2008 है सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 26/05/2008 है, प्रार्थी सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं होकर पत्थर गढी करवाने आवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को तलब किया गया, प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय दस्तावेज का अवलोकन किया गया, प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायसंगत होने से स्वीकार किया गया है। ऐसे में प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थथर गढी, पत्थर लगा कर, स्थाई सीमा चिन्हो के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ कराना चाह रहा है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया।

अतः तहसीलदार तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव चारवाडा कें खसरा सख्या 1649/580 का रकबा 0.4854 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी, पत्थर लगाकर स्थाई सीमा चिन्ह लगा कर करने के आदेश दिए किए जाते है, तहसीलदार तहसील झौथरीपाल आदेश की पलाना कर रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे।,तहसीलदार तहसील सीमलवाडा थानाधीकारी चौरासी को तहरीर जारी कर, माकुल पुलिस जाब्ता प्राप्त करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा)

आज दिनांक 08/05/2024. को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा)

Scanned with OKEN Scanner